वित्त निर्देश 04/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 318/एफ-3/1/04/वित्त/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 18.02.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय- राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध के संबंध में ।

संदर्भ:-1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.-547/वित्त/बी-1/चार/2007 दिनांक 18.09.2007 (वित्त निर्देश-39/2007) ।

2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.-547/वित्त/बी-1/चार/2007 दिनांक 18.09.2007 (वित्त निर्देश-39/2007) ।

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भ क्रमांक-1 (प्रति संलग्न) में अंकित ज्ञापन द्वारा निर्देश दिये गए है कि विभाग के सेटअप में स्वीकृत तथा रिक्त निम्न प्रकार के पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरे जा सकेंगे:-

(1) लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पद ।
(2) अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियाँ ।
(3) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद ।
(4) शैक्षणिक संस्थाओं के शैक्षणिक पद ।
(5) शासकीय अस्पतालों के तकनीकी पद जैसे-डॉक्टर, कंपाउण्डर, नर्स, प्रयोगशाला, तकनीशियन इत्यादि ।
(6) बैंकलाग के पद ।
(7) तृतीय श्रेणी कार्यपालिक एवं शीघ्रलेखक के पद ।
(8) पुलिस बल, जेल विभाग के प्रहरी तथा होमगार्ड सैनिक के पद ।
(9) कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद ।
(10) प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद ।

2. वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भ क्रमांक-2 (प्रति संलग्न) में अंकित परिपत्र द्वारा बस्तर संभाग के कार्यालयों में सीधी भर्ती के सभी स्वीकृत, किन्तु रिक्त पदों को संबंधित संवर्ग के भर्ती नियमों के प्रावधानों अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने की सहमति

प्रदान की गई है, अर्थात् बस्तर संभाग में किसी भी विभाग के किसी भी संवर्ग के पदों पर नियमानुसार नियुक्ति/भर्ती के लिए वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित नहीं है ।

3. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के कुछ पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर नियुक्ति/भर्ती को प्रतिबंध से मुक्त किया जा चुका है तथा इनकी पूर्ति के लिए वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित नहीं है । अनुरोध है कि समस्त विभाग कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा विभाग के अधीनस्थ सभी निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं के ध्यान में भी लाएं ।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के संदर्भ क्रमांक-1 में उल्लेखित ज्ञापन की अन्य शर्ते जो निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं से संबंधित है, वे यथावत लागू रहेंगी ।

संलग्न:-1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक -547 दिनांक 18.09.07 (वित्त निर्देश-39/07)
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक -712 दिनांक 13.05.10 (वित्त निर्देश-22/10)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2011\Doc File\04.doc

पृ. क्रमांक 319/एफ-3/1/04/वित्त/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 18.02.2011

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/ मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
17. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग

वित्त निर्देश 39/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 547/वित्त/बजट-1/चार/2007, रायपुर, दिनांक 18.09.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध बाबत् ।

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक -

1. 1231/वि/ब-1/चार/2001, दिनांक 7.12.2001
2. 1266/वि/ब-1/चार/2001, दिनांक 26.12.2001
3. 744/वि/ब-1/चार/2002, दिनांक 27.6.2002
4. 742/वि/ब-1/चार/2003, दिनांक 21.7.2003

संदर्भित आदेशों के द्वारा राज्य के शासकीय कार्यालयों एवं निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं इत्यादि में नियुक्ति पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं । राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत संदर्भित समस्त ज्ञापनों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

2. आगामी आदेश तक विभागों के सेटअप में स्वीकृत तथा रिक्त निम्न प्रकार के पद, उस पद पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा भर्ती नियमों में प्रावधानों के अनुसार भरे जा सकेंगे -

1. लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पद ।
2. अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियॉं ।
3. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद ।
4. शैक्षणिक संस्थाओं के शैक्षणिक पद ।
5. शासकीय अस्पतालों के तकनीकी पद जैसे - डॉक्टर, कंपाउन्डर, नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन इत्यादि ।
6. बैक लाग के पद ।
7. तृतीय श्रेणी कार्यपालिक एवं शीघ्रलेखक के पद ।
8. पुलिस बल, जेल विभाग के प्रहरी तथा होमगार्ड सैनिक के पद ।

9. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री आपरेटर के पद ।

10. प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद ।

3. उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित पदों के अलावा सीधी भर्ती के अन्य पदों पर नियुक्तियां प्रतिबंधित रहेंगी तथा ऐसे पदों पर नियुक्ति आवश्यक होने पर पद भरने हेतु औचित्य के आधार पर वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी ।

4. ऐसे निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाएं जो राज्य शासन से स्थापना अनुदान प्राप्त नहीं करती है, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु स्वयं निर्णय लेंगी । इन पदों पर नियुक्ति के फलस्वरूप यदि राज्य शासन पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ना संभावित है तो ऐसे पदों को भरने हेतु राज्य शासन की पूर्व सहमति आवश्यक होगी ।

5. ऐसे निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाएं जो राज्य शासन से स्थापना अनुदान प्राप्त करती है के मामले में भी उपरोक्त पैरा 2 एवं 3 के निर्देश यथावत लागू होंगे ।

6. सभी विभाग कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा विभाग के अधीनस्थ सभी निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं के ध्यान में भी लावें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेणु जी. पिल्ले)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 548/वित्त/बजट-1/चार/07, दिनांक 18.09.2007

प्रतिलिपि

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड.शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Alpana

(अल्पना घोष)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

वित्त निर्देश 22/2010

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 712/एफ-3/1/2004/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 13.05.2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय-राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध-बस्तर संभाग हेतु शिथिलीकरण ।
संदर्भ:-वित्त विभाग का पत्र कमांक 547/वित्त/ब-4/चार/2007, दिनांक 18.9.2007

--00--

राज्य के शासकीय कार्यालयों तथा निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में संदर्भित ज्ञाप द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं । राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि बस्तर संभाग स्थित इन कार्यालयों में सीधी भर्ती के सभी स्वीकृत किंतु रिक्त पदों को संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी । शेष सभी संभागों हेतु पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Ajay Singh

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2010\Doc File\22.doc

पृष्ठां.क्रमांक 713/एफ-3/1/2004/ब-4/चार   रायपुर, दिनांक 13.05.2010

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/ मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रोग्रामर, संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर अग्रेषित कर बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग